

क्रमांक 7499-3 एस-73/6585

प्रेषक

गोपनीय

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी उपायुक्त।

दिनांक चण्डीगढ़ 20 मार्च, 1974

विषय :—एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेटों के जूडिशियल कार्य बारे गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आप का ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिला तथा सब न्यायधीशों द्वारा Executive Magistrates के Judicial कार्य बारे में गोपनीय रिपोर्टें न लिखी जाएं। अतः आप से अनुरोध है कि Executive Magistrates की गोपनीय रिपोर्टें भविष्य में आप initiate न करें और उन्हें District and Sessions Judges को न भेजें।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप सचिव राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।